कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू (खूँटी)

आदेश का क्रमांक तारीख सहित	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई की तिथि सहित

22/9/2020

अभिलेख उपस्थापित। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन एवं आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपति दायर नहीं की गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि मौजा......कुड़ाटी......खाता नं०......80......प्लॉट संख्या......1066...... ......रकबा......0.19......एकड़ भूमि पंजी ii में वर्ष......77-78......से जमाबंदी कायम है। पंजी ii में बंदोबस्ती वाद संख्या......07/06.07......दर्ज है एवं वर्ष......14-15......तक लगान वसुली की गई है। आवेदित भूमि पर गैरमजरूआ आम रास्ता, वन भूमि, नदी नाला एवं जंगल झाड़ी आदि नहीं है। मुख्य राजमार्ग, राजपथ एवं शासकीय भवन से 150 मीटर के दायरे में नहीं है। आवेदक विगत ....वर्षो से उक्त भूमि पर दखलकार है आवेदक द्वारा कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आवेदक के पास कुल धारित रकबा के अलावे कृषि कार्य हेतु भूमि नहीं है। आवेदक ......मुण्डा......जाति के है जो ......अनु० जन० जाति......के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्ति है, एवं सरकारी नौकरी नही करते है।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा 4h से मुक्त करने हेतु अनुषंसा किया गया है। निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक : 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के निदेशानुसार दिनांक 01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विकय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी II में संधारित गैर मजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को की गई भूमि बन्दोबस्ती, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4,5 एवं 6 के अंतर्गत बेलगान भूमि का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित लगान गृह स्थल बन्दोबस्ती की गई है, उन सभी मामलों में बन्दोबस्ती पंजी एवं अन्य संबधित अभिलेखों से सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन उपरांत पंजी II रैयत के ......शामुएल मुण्डा...... पिता......रुदु मुण्डा...... ग्राम ......कुड़ाटी...... के नाम से मौजा ...... खाता ......80...... प्लॉट ......1066...... रकबा ......0.19......एकड़ भूमि सरकारी बन्दोबस्ती वाद संख्या ......07/08.07......के अनुसार बन्दोबस्त रहने के कारण तत्काल 4h से मुक्त किया जाता है।

ततपश्चात अभिलेख की काईवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)

अंचल अधिकारी,
मुरहू।

(हस्ताक्षर)

अंचल अधिकारी,
मुरहु।